न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–71/2013 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. नहनी पत्नि मन्ना जाति मीणा,
2. प्यारेलाल पुत्र श्री मन्नाराम मीणा – मृतक
   2/1. श्रीमती सावत्री पत्नि श्री प्यारेलाल,
   2/2. जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल,
   2/3. मनीषा पुत्री स्व0 श्री प्यारेलाल,
   2/4. पूजा पुत्री स्व0 श्री प्यारेलाल,
   2/5. सीताराम पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल नाबालिगान सं0 2/3 ल0 2/5 जरिये सरपरस्त माता श्रीमती सावत्री ।
3. कौशल्या पुत्री श्री मन्ना जाति मीणा निवासीयान ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. मनोहर पुत्र सुगरा उर्फ सगरू जाति मीणा निवासी ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
3. तहसीलदार रामगढ़ तहसील रामगढ़ ।
4. ग्राम पंचायत जातपुर पंचायत समिति रामगढ़ जिला अलवर जरिये सरपंच ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री अजीत यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री बृजबिहारी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.09.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2009 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 183 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी गत ख0 नं0 492 मिन रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा जो सैटलमेन्ट सम्वत् 2020 में हाल ख0 नं0 37/1 रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा में मिलाया गया है जो सैटलमेन्ट सम्वत् 2058 में गत ख0 नं0 37/1 रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा में से 4 बीघा 16 बिस्वा हाल ख0 नं0 42 रकबा 21.66 ऐयर में मिलाया गया है एवं आराजी साबिक ख0 नं0 492 मिन रकबा 19 बिस्वा जो सैटलमेन्ट सम्वत् 2020 में हाल ख0 नं0 95 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में मिलाया गया है जो सैटलमेन्ट सम्वत् 2058 में गत ख0 नं0 95 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में से 19 बिस्वा हाल ख0 नं0 93 रकबा 0.34 ऐयर में मिलाया गया है एवं आराजी साबिक ख0 नं0 492 मिन रकबा 12 बिस्वा जिसका सैटलमेन्ट सम्वत् 2020 में हाल ख0 नं0 97 रकबा 12 बिस्वा जिसका सैटलमेन्ट सम्वत् 2058 में गत ख0 नं0 97 रकबा 12 बिस्वा हाल ख0 नं0 95 रकबा 0.15 ऐयर एवं आराजी गत ख0 नं0 492 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जो सैटलमेन्ट सम्वत् 2020 में हाल ख0 नं0 99 रकबा 3 बीघा 3 स्विा में मिलाया गया है जो सैटलमेन्ट सम्वत् 2058 में गत ख0 नं0 99 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा में से 2 बीघा 1 बिस्वा हाल ख0 नं0 97 रकबा 0.80 ऐयर में मिलाया गया है जो कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मीणापुरा में स्थित है जो आराजी विवादित है । नकल मिलयान क्षेत्रफल सम्वत् 2020 व 2058 संलग्न कर पेश की है । आराजी मिन वादी व उसके पिता सुगरा की खुद कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो मुताबिक घरू बंटवारा हिस्से कब्जे में आयी है जिस आराजी पर वादी का पिता सुगरा उसके जीवनकाल काबिज रहकर काश्त करता रहा और वादी के पिता सुगरा के स्वर्गवास के बाद वादी विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिस आराजी के साबिक राजस्व रेकार्ड सेटलमेन्ट सम्वत् 2020 से पूर्व वादी के पिता सुगरा का नाम अंकन हो रहा है । विवादित आराजी कभी मौके पर सिवायचक चारागाह नहीं रही और हमेशा से काबिल काश्त रकबा है जिस पर हमेशा से काश्त होती रही है और वादी के पिता व उसके स्वर्गवास उपरान्त वादी विवादित आराजी में फसल बोता काटता समेटता चला आ रहा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बिस्वेदारी व जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व से व प्रभाव में आने के बाद भी वादी का पिता सुगरा व उसके स्वर्गवास उपरान्त वादी विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ मिन वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके हैं और वर्तमान में भी विवादित आराजी पर मौके पर काश्त हो रही है और विवादित आराजी ना तो

सिवायचक चारागाह रही है और न ही चारागाह के काम आती है । विवादित आराजी के सैटलमेन्ट सम्वत् 2020 में राजस्व रेकार्ड मिसल हकीयत में वादी के नाम का इन्द्राज साबिक राजस्व रेकार्ड के आधार पर बहैसियत खातेदार दर्ज होना चाहिए परन्तु साबिक राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज के विपरीत विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड सैटलमेन्ट सम्वत् 2020 की मिसल हकीयत में सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने बिना हक व अधिकार खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विवादित आराजी के कब्जे कश्त के खाने में सिवायचक का इन्द्राज कर दिया जिस गलत इन्द्राज के आधार पर सैटलमेन्ट सम्वत् 2020 व 2057 तक व सैटलमेन्ट सम्वत् 2058 से अब तक विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में सिवायचक चारागाह का अंकन होता चला आ रहा है जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है जिस इन्द्राज के कायम रहने से वादी के हकूक खातेदारी प्रभावित होते हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सैटलमेन्ट कर्मचारियों को वक्त सैटलमेन्ट साबिक रेकार्ड के आधार पर वादी के पिता व उसे स्वर्गवास के बाद वादी को विवादित आराजी का काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज राजस्व रेकार्ड करना चाहिए परन्तु बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री या बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने सैटलमेन्ट के दौरान साबिक रेकार्ड के विपरीत नवीन इन्द्राज सिवायचक चारागाह करने का कोई नैतिक व कानूनी अधिकार व हक नहीं है । विकल्प में यदि विवादित आराजी को बिस्वेदारी की भी मानी जावें तो चूंकि जब्ती बिस्वेदारी का कोई इन्तकाल नहीं हुआ है । इसलिए भी धारा 29 बिस्वेदारी जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत वादी विवादित आराजी का मालिक काबिज काश्तकार है । वर्तमान राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये अंकन सिवायचक चारागाह मिन वादी के अधिकारों के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है जो कलमजन किये जाने योग्य है और वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में ताहाल तक में वादी के नाम का अंकन बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 19.11.2009 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 19.11.2009 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि मन्ना और मनोहर सगे भाई है । मन्ना फौत हो चुका है जिसके वारिसान अपीलांट है । विवादित आराजी सुगरा की थी अर्थात अपीलांट के दादा और रेस्पो0/वादी मनोहर के दादा की ।

सम्वत् 2012 मे सुगरा की नाम की खातेदारी में दर्ज थी तो जब सुगरा फौत हो गया तो 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते रहे हैं । मन्ना के फौत पर अपीलांट विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । अपीलांट ने सम्व् 2012 का राजस्व रेकार्ड पेश किया है । मनोहर ने अपीलांट को दावे में पक्षकार नही बनाया है । इसलिए अपीलांट दफा 96 के साथ अपील पेश करने की अनुमति चाहते हैं ।

बहस में आगे कहा कि विवादित आराजी सुगरा की आराजी बताकर दावा किया था उसमें अपीलांट का भी 1/2 हिस्सा है । इसलिए अपील की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 का कथन है कि विवादित आराजी के रेस्पो0 सं0 1 के पिता सुगरा की खुद कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो मुताबिक घरू बंटवारा असल रेस्पो0 सं0 1 के पिता के हिस्से में आयी थी जिस पर रेस्पो0 के पिता सुगरा जब तक जीवित थे तब तक काबिज रहे और उनके मरने के बाद रेस्पो0 सं0 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । इसलिए अपीलांट को तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था । अब अपीलांट पक्षकार बनकर गलत अपील लेकर आये है । तहत न्यायालय ने तनकीयात कायम करते हुए रेकार्ड का पूर्ण अवलोकन करन विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया ।

पैरोकार सरकार ने बहस में कहा कि वर्तमान मे ख0 नं0 42 रकबा 21.66 है0 चारागाह दर्ज रेकार्ड है । भूमि चारागाह दर्ज है । चारागाह पर खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं है । चारागाह भूमि पशुओं के चराई के लिए काम में आती है, काश्त के लिए नहीं । इसलिए अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2009 का अवलोकन किया ।

विवादित आराजी वादपत्र में वादी/रेस्पो0 ने अपने पिता के नाम का राजस्व रेकार्ड में अंकन होने तथा उनकी मृत्यु के बाद स्वयं के विवादित आराजी पर कब्जे कश्त में होने के आधार पर खातेदारी का दावा किया है । तहत न्यायालय में अपीलांट पक्षकार मुकदमा नहीं थे और यहां धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना के साथ तहत न्यायालय में पारित डिक्री दिनांक 19.11.2009 में से 1/2 हिस्से की खातेदारी चा रहे हैं । चूंकि विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में सरकारी खाते में दर्ज है तथा तहत न्यायालय की डिक्री की पालना आदिनांक तक नहीं हुई है ।

अपील में कानूनी बिन्दू ये हैं कि क्या सरकारी जमीन में पारित डिक्री के आधार पर अपीलांट 96 सी.पी.सी. के साथ अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवा सकते हैं ।

डिक्री के गुणावगुण पर जाने से पहले मूल प्रश्न के संबंध में न्यायालय का कानूनी मत है कि सरकारी जमीन हाल रेकार्ड में पारित डिक्री में से 1/2 हिस्से की डिक्री प्राप्त करने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है । डिक्री के संबंध में अपील का क्षेत्राधिकार राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को है ।

अतः अपील अपीलांट रेस्पो0 के विरूद्ध यदि खातेदारी प्राप्त होती है, तब डिक्री के लिए चाराजोही कर सकते हैं । इसलिए अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 19.11.2009 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर